

दिनांक

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

5-9-18

उभय पक्ष उपस्थित न्यायाधीश राजकीय कार्य से बाहर हैं। अहकाम पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 3-10-18 को पेश हो।

रीडर  
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

10-18

उभय पक्ष उपस्थित न्यायाधीश राजकीय कार्य से बाहर हैं। अहकाम पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 18-12-18 को पेश हो।

रीडर  
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

12-18

उभय पक्ष उपस्थित न्यायाधीश राजकीय कार्य से बाहर हैं। अहकाम पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 22-1-19 को पेश हो।

रीडर  
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

22-1-19

उभय पक्ष उपस्थित न्यायाधीश राजकीय कार्य से बाहर हैं। अहकाम पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 26-2-19 को पेश हो।

रीडर  
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

26-2-19

उभय पक्ष उपस्थित न्यायाधीश राजकीय कार्य से बाहर हैं। अहकाम पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 22-3-19 को पेश हो।

रीडर  
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

2-3-19

पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/वहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक को पेश हो। 21-5-19

1-5-19

पत्रावली पेश हुई, तहसीलदार मांडल द्वारा मौफा बिपार्ट पेश हुई जिसमें बताया कि प्राथीजल ऐव निपक्षीगण के नीच आपसी सहमति से खेतों में जाने वाला रास्ता का खुलासा कर दिया गया। प्राथी आगे प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। अतः प्रकरण इसी स्तर पर

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा

तारीख  
हुक्म

ड्रॉप फरमाया जावे। ऑरिजिनल को रीफाईन किया गया।  
 मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा तद्विषयक  
 माडेल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर मगन किया।  
 प्राथमिक एवं विपक्षीय के बीच आपसी  
 सहमति से रास्ता का शुल्का होने से  
 प्रकरण इसी स्तर पर स्वारिज किया  
 जाता है।  
 पत्रावली फॉरवर्ड शुभार की जाकर अग्नर से  
 काम हो।

उपखण्ड अधिकारी  
 नांडल जिला भीलवाड़ा